

कार्यालय प्रमुख अधिकारी
सतत संवर्धन की निर्देश दिलाय
देहरादून।

(प्रमुख अधिकारी)

आरक्षा संख्या 75 / 2766 / 14

आरक्षा संख्या के दिवाल स्थान में स्थित बड़ी पर धौत नामक स्थान पर सौह मोटर सेटु
के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थान की भूगमीय निरीक्षण आया।

अगस्त 2014

उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान पर लौह मोटर सेतु के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. मात्र मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 43 मी० स्पान के लौह मोटर सेतु का राज्य योजना में प्रथम चरण का निर्माण कार्य स्वीकृत है। अधीक्षण अभियन्ता पष्टम वृत्त लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी के अनुरोध पर, निर्माण खण्ड लो० नि० वि० पुरोला के अन्तर्गत प्रस्तावित सेतु स्थल का अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 6 अगस्त 2014 को अधीक्षण अभियन्ता पष्टम वृत्त लो० नि० वि० उत्तरकाशी एवं श्री आर० एस० पंवार सहायक अभियन्ता लो० नि० वि० पुरोला के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया।
2. निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि मोटर सेतु के निर्माण हेतु सम्बंधित खण्ड के द्वारा दो स्थलों पर विचार किया गया है। स्थल संख्या-८ तथा स्थल संख्या-बी पर सेतु का स्पान क्रमशः 48 मी० एवं 60 मी० आता है। दोनो स्थलों के गुण-दोष एवं सेतु के स्वीकृत स्पान को ध्यान में रखते हुये खण्ड के द्वारा स्थल संख्या-८ पर 48मी० स्पान के स्टील गर्डर मोटर सेतु के निर्माण की संस्तुति की गई है। प्रस्तावित स्थल संख्या-८ रूपिन नदी पर निर्मित झूला सेतु (36 मी० स्पान) के समीप अपस्ट्रीम में स्थित है। बांये किनारे पर वन विभाग द्वारा धौला मुसाई हल्का वाहन मार्ग हेतु कटान किया गया है जिससे मोटर सेतु के पहुंच मार्ग को मिलाया जाना प्रस्तावित है। सेतु स्थल के बांये ओर के पहाड़ी ढलान पर धौला-मुसाई हल्का वाहन मार्ग की तीन आर्म्स कटी है तथा कटान का मलवा तथा बड़े बोल्डर आदि पहाड़ी ढलान पर ही फैले हुये हैं। भविष्य में वर्षा के समय चट्टान के बड़े ब्लाक्स यदि मोटर सेतु अथवा पहुंच मार्ग पर गिरते हैं, तो उन्हे क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। दाहिने किनारे पर भी अभी मोटर सेतु के पहुंच मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है।
3. सेतु स्थल पर दोनो किनारो पर क्वार्टजाईट चट्टान है। बांये किनारे पर दृष्टिगोचर इन चट्टान की मुख्य पत्तों का झुकाव नदी की ओर 45° के लगभग है, तथा स्थायित्व की दृष्टि से यह एक प्रतिकूल स्थिति है। चट्टान में कुछ दरारे भी विद्यमान हैं। स्थल निरीक्षण के समय चट्टान के कुछ ब्लाक्स अपने स्थान से खिसके हुये भी दिखाई दिये। सेतु का भार पड़ने के पश्चात यातायात एवं भूकम्प की प्रतिकूल स्थितियों में चट्टान की इन पत्तों के टूटने एवं खिसकने की सम्भावना हो सकती है। अतः सेतु के निर्माण के पूर्व इस सम्भावना को ध्यान में रखते हुये ground condition को अनुकूल बनाये जाने हेतु विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त कर लिये जायें। दाहिने किनारे पर चट्टान की पत्तों का झुकाव हिल साईड में है। इस किनारे पर चट्टान में कुछ ओवरहैंगिंग भी दृष्टिगोचर हैं। नदी के किनारे के बाद दाहिनी ओर की भूमि कुछ दूरी तक लगभग समतल है, जिस पर छोटे पत्थर एवं बालू इत्यादि का डिपाजिट है। अवगत कराया गया कि रूपिन नदी में बाढ़ के समय अपस्ट्रीम से कुछ पानी डाईवर्ट होकर किनारे की ओर आ जाता है जिसके साथ छोटे पत्थर एवं बालू इत्यादि भी आते हैं। दाहिने एबटमेंट का निर्माण इस ओर की इसी समतल भूमि में कराया जाना प्रस्तावित है। स्थल के उपलब्ध कराये गये कास सैक्षण में सेतु का फी बोर्ड 07 मी० दर्शाया गया है। प्रस्तावित स्थल भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है।
4. स्थल की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
 - (क) बांये किनारे पर चट्टान के jointed and fractured भाग को स्थल विकास के समय ही हटा दिया जाये। और सेतु का एबटमेंट बाक्स एक्सकेवेशन करके फर्म व फेश चट्टान में गहराई में आधारित किया जाये कि चट्टान की पत्तों का झुकाव नदी की ओर है, जो एक प्रतिकूल स्थिति है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि एबटमेंट को किनारे से दूर तथा गहराई में चट्टान की ऐसी पत्तों पर आधारित किया जाये जो embedded हों तथा किनारे पर exposed न हों।

(६) सेतु निर्माण के पूर्व बांधे एबटमेन्ट की सुरक्षा एंव स्थायित्व की दृष्टि से एबटमेन्ट क्षेत्र में व किनारे की ओर उसके नीचे स्थित चट्टान में rock bolting कराये जाने की आवश्यकता पर विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त कर लिये जायें व उसी के अनुसार कार्य कराया जाये।

(७) बांधे किनारे पर चट्टान की पत्तों के नदी की ओर झुकाव को देखते हुये आवश्यक हो तो एबटमेन्ट की नीचे में समुचित परिकल्पना के dowels का प्रावधान भी किया जा सकता है, जिनको गहराई में फर्म व stable चट्टान में tie कर दिया जाये, जिससे प्रस्तावित एबटमेन्ट में किसी भी sliding tendency के विरुद्ध वांछित resistance उत्पन्न हो सके।

(८) सेतु के दाहिने एबटमेन्ट का निर्माण किनारे की ओर समुचित आफसैट छोड़ते हुये बाक्स एक्सकेवेशन करके गहराई में चट्टान पर कराया जाये। नीचे खुदान के पश्चात आवश्यक हो तो एबटमेन्ट हेतु राफ्ट फाउन्डेशन का प्रावधान किया जाये।

(९) यदि किसी भी किनारे पर खुदान के समय चट्टान में कोई लूज पाकेट अथवा cavity मिलती है तो उसे समुचित विशिष्टि की कंकीट से back fill कर दिया जाये।

(१०) बांधे किनारे पर पहुंच मार्ग हेतु कटान, सेतु के निर्माण के पूर्व करा लिया जाये तथा प्रस्तावित एबटमेन्ट से ऊपर के पहाड़ी ढलान पर स्थित ऐसे लूज बोल्डर तथा चट्टान के टुकड़ों को सेतु के निर्माण से पूर्व ही साक्षात्तीर्पूर्वक हटा दिया जाये जिनकी बाद में गिरने की सम्भावना हो सकती है।

(११) सेतु स्थल के अपस्ट्रीम में दाहिने किनारे पर समुचित परिकल्पना के सुरक्षात्मक स्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाये जिससे बाढ़ के समय रूपिन नदी का पानी ओवरफलो होकर सेतु के एबटमेन्ट तथा पहुंच मार्ग की ओर न आ सके।

(१२) बाढ़ के समय नदी में वृक्ष आदि बह कर आने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुये सेतु का डेक नदी के एच० एफ० एल० से सुरक्षित ऊचाई पर रखा जाये।

(१३) स्थल की भूकम्पीय स्थिति के अनुरूप सेतु की परिकल्पना एंव निर्माण में मानकों एंव विशिष्टियों में निर्धारित भूकम्परोधी प्रावधान किये जाये।

टैपणी:-

उपरोक्त बिन्दुओं पर स्थल निरीक्षण के समय भी विचार-विमर्श किया गया।

H. K. Kumar
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
वार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो० नि० वि० उत्तराखण्ड
देहरादून